कमल कृष्ण रस्तोगी एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य व अन्य

(2002 की सिविल अपील संख्या 5771-5772)

03 सितम्बर, 2008

(तरूण चटर्जी और अफताब आलम, जे.जे.)

बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम 1961- धारा 45बी- भूमि सीमा की कार्यवाही-कलेक्टर के द्वारा पुनः खोली गई- उसके पश्चात अतिरिक्त कलक्टर को निस्तारण के लिए अंतरित की गई- भूमि धारक ने आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु समय दिए जाने की प्रार्थना की- लेकिन कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की और कुछ महिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई- कार्यवाहियों में विधिक प्रतिनिधियों के प्रत्यास्थापन हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया- अतिरिक्त कलक्टर ने मामले की सुनवाई को निश्चित करते हुए 'एस' (जो मृतक था) के नाम नोटिस भेजा- जवाब में कोई भी हाजिर नही हुआ-अतिरिक्त कलक्टर ने यह मानते हुए आदेश पारित किया कि भूमि धारक को वर्ग i की 78 एकड़ भूमि का अधिकार दिया गया और वर्गi की 130.56 एकड़ भूमि को अधिशेष घोषित किया गया-'एस' के उत्तराधिकारियों ने अतिरिक्त कलक्टर के आदेश को अपील और पुनरीक्षण में चुनौती दी किन्तु वे असफल रहे- उन्होने रिट याचिका यह तर्क देते हुए प्रस्तुत की कि कलक्टर के पुनः खोलने का आदेश देने की कार्यवाही असाध्य रूप से गलत और अवैध थी क्योंकि यह भूमि धारक को बिना नोटिस दिये पारित किया गया था और परिणामतः सभी पश्चातवर्ती आदेश जो राजस्व अधिकारियों के द्वारा पारित किये गये, समानतः अवैध

और निरस्त किए जाने योग्य हैं। कार्यवाही को फिर से खोलने वाले कलेक्टर के आदेश की वैधता पर सवाल उठाने के लिए अब 'एस' के उत्तराधिकारियों के लिए खुली नहीं थी- अपील में माना गया- यह मानना शायद ही उचित होगा कि कलक्टर के आदेश द्वारा कार्यवाही के पुनः खुलने के बाद भूमि धारक द्वारा कार्यवाहियों में कोई भाग लिया हो- अतिरिक्त कलक्टर का आदेश एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध था और इस कारण मात्र से यह निरस्त योग्य था- केवल अतिरिक्त कलक्टर के आदेश के बाद 'एस' के विधिक प्रतिनिधि आए जब उन्होने उसे चुनौती देने का प्रयत्न किया-इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि पुनः खोलने के आदेश की वैधता का प्रश्न भूमि धारक के लिए नहीं खुला था-चूंकि पुनः खोलने के बाद उसने कार्यवाही में भाग लिया था-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों के आदेश विधि में निरस्त योग्य हैं और अपास्त किये जाते हैं।

कलक्टर ने बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम 1961 की धारा 45बी के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि सीमा की कार्यवाहियों को पुनः खोले जाने के आदेश को पारित किया। आदेश भूमि धारक को बिना नोटिस दिए या बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया था। उसके पश्चात अतिरिक्त कलक्टर को निस्तारण के लिए अंतरित की गई। भूमि धारक ने आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु समय दिए जाने की प्रार्थना की, लेकिन कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की और कुछ महिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। कार्यवाहियों में विधिक प्रतिनिधियों के प्रत्यास्थापन हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। अतिरिक्त कलक्टर ने मामले की सुनवाई को निश्चित करते हुए 'एस' (जो मृतक था) के नाम नोटिस भेजा। जवाब में कोई भी हाजिर नही हुआ। अतिरिक्त कलक्टर ने यह मानते हुए आदेश पारित किया कि भूमि धारक को वर्ग i की 78 एकड़ भूमि का अधिकार दिया गया और वर्ग i की 130.56 एकड़ भूमि को अधिशेष घोषित किया गया। 'एस' के

उत्तराधिकारियों ने अतिरिक्त कलक्टर के आदेश को अपील और पुनरीक्षण में चुनौति दी किन्तु वे असफल रहे। उन्होने रिट पिटीशन यह तर्क देते हुए प्रस्तुत की कि कलक्टर के पुनः खोलने का आदेश देने की कार्यवाही असाध्य रूप से गलत और अवैध थी क्योंकि यह भूमि धारक को बिना नोटिस दिये पारित किया गया था और परिणामतः सभी पश्चातवर्ती आदेश जो राजस्व अधिकारियों के द्वारा पारित किये गये, समानतः अवैध और निरस्त किए जाने योग्य हैं। कार्यवाही को फिर से खोलने वाले कलेक्टर के आदेश की वैधता पर सवाल उठाने के लिए अब 'एस' के उत्तराधिकारियों के लिए खुली नहीं थी-अपील में माना गया। यह मानना शायद ही उचित होगा कि कलक्टर के आदेश द्वारा कार्यवाही के पुनः खुलने के बाद भूमि धारक द्वारा कार्यवाहियों में कोई भाग लिया हो। अतिरिक्त कलक्टर का आदेश एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध था और इस कारण मात्र से यह निरस्त योग्य था। केवल अतिरिक्त कलक्टर के आदेश के बाद 'एस' के विधिक प्रतिनिधि आए जब उन्होने उसे चुनौती देने का प्रयत्न किया। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि पुनः खोलने के आदेश की वैधता का प्रश्न भूमि धारक के लिए नहीं खुला था। इसलिए 'एस' के पुत्रों द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गई।

न्यायालय द्वारा अपीलों को स्वीकार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया किः-

1.1 अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष कार्यवाही में भूमि धारक की भागीदारी कलक्टर द्वारा पारित पुनः खोलने के आदेश की वैधता को सही करेगी या नहीं, यह एक बहस का मुद्दा है, लेकिन स्वीकृत तथ्यों के अनुसार वर्तमान मामले में ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यह मानना शायद ही उचित होगा कि कलक्टर के आदेश के द्वारा इसे फिर से खोलने के बाद भूमि धारक ने कार्यवाही में कोई हिस्सा लिया। अतिरिक्त कलक्टर द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर, 'एस' 30 अप्रेल 1984 को उनके समक्ष उपस्थित हुआ और

आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय दिए जाने की प्रार्थना की। फिर वह कभी उपस्थित नहीं हुआ और कुछ महिने बाद 27 जनवरी 1985 को उनकी मृत्यु हो गई, उसने अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष कोई आपत्ति दर्ज नही की। यदि उसने दायर की होती तो उसे सटीक आपत्ति हो सकती थी की कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना थी। क्योंकि फिर से खोलने का आदेश स्वयं अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था। 'एस' की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को न तो प्रतिस्थापित किया गया और न ही उन्हें अतिरिक्त कलक्टर द्वारा कोई नोटिस दिया गया। वे अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष उपस्थित नही हुए। गौरतलब है कि अतिरिक्त कलक्टर का आदेश एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध किया गया था और इसी कारण से यह आदेश निरस्त किए जाने योग्य था, अतिरिक्त कलक्टर के आदेश के बाद ही 'एस' के उत्तराधिकारी सामने आए। जब उन्होने कई आधारों पर आदेश को चुनौती देने की कोशिश की, जिसमें यह भी शामिल था कि कार्यवाही में जो आदेश पारित किया गया था, जो कलक्टर के आदेश के आधार पर था वह अवैध और बिना अधिकारिता का था। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि भूमि धारकों के पास फिर से खोलने के आदेश की वैधता पर सवाल उठाने का अधिकार नही है, क्योंकि उन्होने इसके बाद कार्यवाही में भाग लिया था। [पैरा-8] [22-जी-एच; 23-ए-ई]

1.2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के साथ साथ राजस्व अधिकारियों के आदेश निरस्त योग्य हैं और अपास्त किये जाते हैं। हालांकि यह आदेश राज्य सरकार को मामले के अभिलेख मंगवाने और उनकी जांच करने और इस बात से संतुष्ट होने पर कि अधिनियम की धारा 45बी के तहत उचित आदेश पारित करने के लिए जो मेटेरियल उपलब्ध है, प्रभावित नहीं करेगी। [पैरा-10, 11] [23-एफ; 23-जी]

महाराजा चिन्तामणी सारण नाथ शाहदेव बनाम बिहार राज्य **(1999) 8 एससीसी 16 अप्रयोज्य अभिनिर्धारित।**

विधिक प्रकरण का संदर्भ

(1999) 8 एससीसी16 अप्रयोज्य अभिनिर्धारित पैरा-6

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता- सिविल अपील संख्या 5771-5772/2002।

पटना उच्च न्यायालय के 1989 का सी.डब्लु.आई.सी. संख्या 7439 और सिविल पुनर्विलोकन संख्या 143/2000 में पारित अंतिम आदेशों से दिनांक 01.02.2000 और 21.03.2001 से।

पी.एस. मिश्रा, मनुशंकर मिश्रा, उपेन्द्र मिश्रा, रवि सी. प्रकाश और मोहन पाण्डे- वास्ते अपीलार्थी।

मनीषकुमार और गोपालसिंह- वास्ते प्रत्यर्थीगण।

न्यायालय का निर्णय **न्यायाधिपति अफ़ताब आलम** द्वारा पारित किया गया।

1. यह दो समरूप अपीलें एक भूमि सीमा कार्यवाही से उत्पन्न होती हैं। जिसे बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम 1961(जिसे आगे अधिनियम के नाम संबोधित किया गया है) की धारा 45बी के तहत फिर से खोला गया था।

2. प्रथम चरण में एक कार्यवाही भूमि धारक सरजू माधव रस्तौगी के विरूद्ध 1973-74 की वाद संख्या 868 में की गई थी। उन्हें केवल दो सीमा युनिट का हकदार दिखाया गया था लेकिन उनके कब्जे में विभिन्न वर्गों की 205.83 एकड़ भूमि थी। भूमि धारक ने ड्राफ्ट के विरूद्ध कई आपत्तियां उठाई। उन्होने भूमि के वर्गीकरण पर विवाद किया और अपने तीन बेटों के लिए तीन अधिक इकाईयों का दावा किया जो उसके अनुसार नियत तिथि 09 सितंबर 1970 को पहले से ही वयस्क थे और आगे अपने दो छोटे पोते-पोतियों के लिए एक अतिरिक्त इकाई का दावा किया। उन्होने कहा

कि 28 सितम्बर 1962 को उपहार विलेख द्वारा उन्होने अपनी दो विवाहित बेटियों को क्रमशः 21.98 एकड़ और 21.43 एकड़ जमीन दी थी; 2.56 एकड़ जमीन सिंचाई नहर निर्माण हेतु राज्य द्वारा अधिग्रहण में ली गई थी और 9.69 एकड़ जमीन उन्होने स्वेच्छया से त्याग कर दी थी। उन्होने तर्क दिया कि इन सभी जमीनों (कुल 55.56 एकड़ को जोड़कर) को उनके नाम पर बनाए गए ड्राफ्ट विवरण में गलत तरीके से दिखाया गया था। राजस्व अधिकारियों ने उनकी आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और मामला अंततः दो रिट याचिकाओं, 1977 के सी.डब्लु.जे.सी. संख्या 1393 (सरजू माधव रस्तौगी और उनके बेटे के द्वारा दायर) और 1977 के सी.डब्लु.जे.सी. संख्या 1816 (दो बेटियों द्वारा दायर) के रूप में पटना उच्च न्यायालय में आया। जिन्होने अपने पिता द्वारा उपहार में दी गई जमीनों पर दावा किया और अपने पिता के खिलाफ चल रही भूमि सीमा की कार्यवाही में उन्हें शामिल करने पर आपत्ति जताई। 07 नवंबर 1977 के फैसले और आदेश के द्वारा दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई थी और मामले पर पुनर्विचार करने और की गई टिप्पणियों के आलोक में भूमि धारक की आपत्तियों की फिर से जांच करने के लिए मामले को उपविभागीय अधिकारी, भभुआ को भेज दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा रिमाण्ड के बाद नए दौर में व्यवहारिक रूप से भूमि धारक द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को स्वीकार कर लिया गया और अतिरिक्त कलक्टर, एल.आर., रोहताश, सासाराम द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 1978 द्वारा कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया। आदेश दिया गया और पाया गया कि भूमि धारक के पास वर्ग-ii की 8 एकड़ भूमि और वर्ग- iv की 132.01 1/2 एकड़ भूमि का कब्जा था, उन्हें 05 यूनिट का हकदार माना गया जो 156 एकड़ तक थी और इस प्रकार उनके हाथों में कोई अधिशेष भूमि नहीं थी।

3. यह मामला तब शांत हुआ जब कलक्टर रोहताश ने 08 सितम्बर 1982 को अधिनियम की धारा 45 बी (धारा45 बी के तहत जैसा कि उस समय था कि जिले के

कलेक्टर को मामले के रिकॉर्ड देखने पर कार्यवाही को फिर से खोलने के समान अधिकार था) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को फिर से खोलने का आदेश पारित किया। हालांकि यह स्वीकृत स्थिति है कि कार्यवाही को फिर से खोलने का आदेश कलक्टर द्वारा भूमि धारक सरजू माधव रस्तोगी को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था।

4. फिर से शुरू होने के बाद कार्यवाही को 1982 के भूमि सीमा मामले की संख्या 64 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। अधिनियम की धारा 10(2) के तहत नया ड्राफ्ट विवरण भूमि धारक को जारी किया गया था। जिसमें उसे वर्ग-i की 200.51 एकड़ भूमि और वर्ग-iv की 0.11 एकड़ भूमि पर स्वामित्व दिखाया गया था। ड्राफ्ट विवरण में उन्हें 4 यूनिट की अनुमति दी गई थी और 2 अतिरिक्त युनिट अवयस्कों के लिए अनुमति दी गई थी। और शेष भूमि को अधिशेष घोषित किया गया।

5. इस चरण से जो हुआ वह मामले के उद्येश्य के लिए महत्वपूर्ण है और हम तद्नुसार तथ्यों को ठीक वैसे ही बताते हैं जैसे की वे अपील के तहत आने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में दिखाई देते हैं। कार्यवाही अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष निस्तारण हेतु स्थानांतरित की गई। उन्हें जारी किए गए नोटिस पर भूमि धारक सरजू माधव रस्तोगी 30 अप्रेल 1984 को अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष उपस्थित हुआ और एक याचिका दायर कर आपत्ति दर्ज करने के लिए समय देने की प्रार्थना की। उसके बाद उन्होने न तो कोई आपत्ति दर्ज की और न ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। 27 जनवरी 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। यह निर्विवाद है कि भूमि धारक की मृत्यु के बाद कार्यवाही में उसके उत्तराधिकारियों के प्रत्यास्थापन के लिए कोई कदम नही उठाया गया और न ही मृतक सरजू माधव रस्तोगी के उत्तराधिकारियों के नाम पर पंजीकृत नोटिस भेजा। 06 फरवरी 1986 को अतिरिक्त कलेक्टर ने सरजू माधव रस्तोगी(जो तब

तक मर चुके थे) के नामएक पंजीकृत नोटिस भेजा, जिसमें मामले की सुनवाई 05 फरवरी 1986 को तय की गई। नोटिस के जवाब में कोई भी उपस्थित नही हुआ और जाहिर तौर पर उस तारीख को कोई सुनवाई नही हुई। तब से 25 अगस्त 1987 को सर्किल अधिकारी की रिपोर्ट के बाद अतिरिक्त कलक्टर ने 02 नवम्बर 1987 को मामले की सुनवाई तय करते हुए एक और पंजीकृत नोटिस भेजा। यह नोटिस भी सरजू माधव रस्तौगी को संबोधित था। अंत में 14 जनवरी 1988 को अतिरिक्त कलक्टर ने आदेश पारित किया कि भूमि धारक वर्ग-i की 78 एकड़ भूमि का हकदार था और वर्ग-i की शेष 130.56 एकड़ भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था। आदेश में पाया गया और माना गया कि अधिनियम के तहत अनुमत अवधि के भीतर कोई भी उपहार निष्पादित नहीं किया गया था और पिछली कार्यवाही में 43.41 एकड़ भूमि को भूमि धारक द्वारा अपनी बेटियों को उपहार में दिए जाने की दलील पर गलत तरीके से बाहर रखा गया था।

6. सरजू माधव रस्तौगी के पुत्रों ने अपील और पुनरीक्षण में अतिरिक्त कलक्टर का आदेश लिया और असफल होने पर राजस्व अधिकारियों के समक्ष मामले को 1989 का सी.डब्लु.जे.सी. नंबर 7439 में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य बातों के साथ साथ यह तर्क दिया गया था कि कार्यवाही को फिर से खोलने का कलक्टर का आदेश देना गलत और अवैध था। क्योंकि यह भूमि धारक को बिना किसी नोटिस के पारित किया गया था। परिणामतः राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित सभी बाद के आदेश समान रूप से अवैध और निरस्त योग्य थे। उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे डिवीजन बैंच के न्यायाधीशों ने एक ने यह विचार किया कि अतिरिक्त कलक्टर की कार्यवाही में भाग लेने और फिर मामले को अपील और पुनरीक्षण में ले जाने के बाद रिट याचिकाकर्ताओं के लिए कलक्टर द्वारा कार्यवाही को पुनः खोलने के आदेश की वैधता पर सवाल उठाना

संभव नहीं है। निर्णय के पैरा संख्या-13 में विद्वान न्यायाधीश ने निम्न लिखित टिप्पणी की और कहा-

> "याचिककर्ताओं के वकील श्री रस्तौगी ने कहा कि अधिनियम की धारा 45 बी के तहत भूमि सीमा की कार्यवाही को फिर से खोलने के आदेश के संबंध में याचिककर्ताओं को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यह अवैध और अधिकारक्षेत्र के बिना था जिसके परिणामस्वरूप सभी आदेश जो बाद में पारित किये गये अवैध है और याचिककर्ताओं पर बाध्यकारी नहीं है। मुझे इन दलीलों में कोई औचित्य नहीं मिला। कार्यवाही को फिर से शुरू होने के बाद याचिकाकर्ता इसको चुनौती देने की बजाए अदालत में उपस्थित हुए और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुति दी और कार्यवाहियों में भाग लिया और इस प्रकार उन्हें बाद के स्तर में इसे चुनौती देने से रोक दिया गया।"
>
> (जोर देते हुए कहा)

पीठ का गठन करने वाले अन्य विद्वान न्यायाधीश, पहले न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत थे। लेकिन रिट याचिककर्ताओं की प्रस्तुति को खारिज करने के लिए अपने स्वयं के कारण बताने के लिए इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण पाया। दूसरे न्यायाधीश ने कानूनी स्थिति को स्वीकार किया कि पुनः खोलने का आदेश काफी अवैध था क्योंकि यह भूमि धारक को बिना किसी नोटिस के पारित किया गया था। निर्णय के पैरा संख्या-17 में दूसरे न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा-

> "सटीक सवाल यह है कि क्या दिनांक 08.09.82 की कार्यवाही को फिर से खोलने का आदेश अवैध है, जिसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है, क्योंकि यह भूमि धारक को नोटिस जारी किए बिना किया

गया था, अतिरिक्त कलक्टर द्वारा पारित आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना भी हैं।"

(जोर देते हुए कहा)

फिर भी, विद्वान न्यायाधीश ने कहा, पुनः खोलने के आदेश की अवैधता, राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित बाद के आदेशों को प्रभावित नही करेगी। विद्वान न्यायाधीश ने कहा भले ही कोई आदेश क्षेत्राधिकार के बिना हो, लेकिन अदालत उस स्थिति में हस्तक्षेप करने से इंकार कर देगी, यदि उस आदेश को रद्द करने से एक और बुरा और अवैध आदेश पुनर्जीवित हो जाए। सिद्धान्त के समर्थन में उन्होने **महाराजा चिन्तामणी सारण नाथ शाहदेव बनाम बिहार राज्य (1999) 8 एस.सी.सी.16-** में इस न्यायालय के फैसले पर विश्वास जताया। हम विद्वान न्यायाधीश के द्वारा पारित सिद्धान्तों या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के लागू होने को देखने में असफल हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि कलक्टर द्वारा पारित पुनः खोलने के आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप कौन सा अन्य आदेश पुनर्जीवित हो सकता है। यह निश्चित रूप से वह आदेश नही हो सकता जिसके द्वारा कार्यवाही पहले रद्द कर दी गई थी। क्योंकि कानून के अनुसार इससे पहले कि इसे गलत माना जाए और फिर से खोलने का आदेश दिया जाए, भूमि धारक को उस आदेश का बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कार्यवाही को समाप्त करने के पहले के आदेश को प्रथम दृष्टया गलत नहीं कहा जा सकता और इसे एक तरफा घोषित नहीं किया जा सकता। यह स्थिति होने के कारण उस कार्यवाही को फिर से खोलने के आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप किसी अवैध आदेश के पुनर्जीवित होने का कोई सवाल ही नहीं है, जिसे अवैध तरीके से पारित किया गया था।

7. इसके बाद विद्वान न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के विभिन्न प्रकृतियों एवं प्रकार की जांच करने के लिए आगे बढ़े और मुद्दे को विस्तार से बताने के लिए कई निर्णयों

का हवाला दिया लेकिन अंत में एक विद्वतापूर्ण चर्चा में वह भी, पहले न्यायाधीश की तरह इस तर्क पर वापिस आ गए कि रिट याचिककर्ताओं के लिए फिर से खोलने के आदेश की वैधता पर सवाल उठाना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होने इसे फिर से खोलने के बाद कार्यवाही में पूरी तरह से भाग लिया था। निर्णय के पैरा संख्या-22 में विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा-

> "धारा 45 बी राज्य सरकार या उसके लिए अधिकृत जिले के कलक्टर को किसी भी समय अधिनियम के तहत कलक्टर द्वारा निपटाई गई किसी भी कार्यवाही के किसी भी रिकॉर्ड को मंगाने और उसकी जांच करने का अधिकार देती है, यदि वह उचित समझती है तो वह निर्देश दे सकती है कि मामले को फिर से खोला जाए और अधिनियम के प्रावधानों के तहत नए सिरे से निपटाया जाए। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, किसी निष्कर्ष पर पहुंची कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व भूमि धारक को नोटिस जारी करना और उसे सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। इस प्रकार जहां नोटिस नहीं दिया गया है वहां आदेश को अवैध माना जावेगा और शब्द के विस्तारित अर्थ के भीतर, उच्चतम न्यायालय की पूर्वोक्त टिप्पणी के अनुसार, क्षेत्राधिकार के बिना भी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल उस आधार पर बाद के आदेश दिए जायेंगे, यह भी अवैध हो जाएगा, विशेष तौर पर जब याचिकाकर्ता ने कार्यवाही में भाग लिया, इस प्रकार अतिरिक्त कलक्टर के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया, जो उसके पास निर्विवाद रूप से था।"

(महत्व जोड़ें)

8. हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष कार्यवाही में भूमि धारक की भागीदारी कलक्टर द्वारा पारित पुनः खोलने के आदेश की अवैधता को सही करेगी या नहीं, यह एक बहस का मुद्दा है। लेकिन स्वीकृत तथ्यों के आधार पर हम देखते हैं कि इस मामले में बड़ा मुद्दा उठता ही नहीं है। यह मुश्किल से ही उचित व सही होगा कि भूमि धारक ने कलक्टर के पुनः खोलने के आदेश के बाद कार्यवाहियों में हिस्सा लिया हो। जैसा की उपर देखा गया, अतिरिक्त कलक्टर के द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर सरजू माधव रस्तौगी दिनांक 30 अप्रेल 1984 को उनके समक्ष उपस्थित हुए और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए समय देने की प्रार्थना की। फिर वह कभी उपस्थित नहीं हुए और कुछ महिने बाद 27 जनवरी 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होने अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। यदि उन्होने दायर की होती तो उन्हें सटीक आपत्ति हो सकती थी कि कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना थी, क्योंकि फिर से खोलने का आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था। माना गया कि सरजू माधव रस्तौगी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को न तो प्रतिस्थापित किया गया और न ही उन्हें अतिरिक्त कलक्टर द्वारा कोई नोटिस दिया गया। वे अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष उपस्थित नही हुए। ध्यान देने बात यह है कि अतिरिक्त कलक्टर का आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध किया गया था और केवल इसी कारण से यह मान्य नहीं था। अतिरिक्त कलक्टर के आदेश के बाद भी सरजू माधव रस्तौगी के उत्तराधिकारी सामने आए जब उन्होने कई आधारों पर आदेश को चुनौती देने का प्रयास किया जिनमें एक यह भी शामिल था कि जो आदेश कार्यवाही में पारित किया गया था वह कलक्टर के आदेश के आधार पर दिया गया था, जो कि अवैध और बिना अधिकारिता का था। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि भूमि धारकों के लिए फिर से खोलने के आदेश की वैधता पर सवाल उठाना संभव नहीं था क्योंकि उन्होने इसे फिर से खोलने के बाद कार्यवाही में भाग लिया था।

9. जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है अतिरिक्त कलक्टर का आदेश इस अतिरिक्त कारण से भी मान्य नही था कि यह एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया था।

10. इन सभी कारणों से हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के साथ साथ राजस्व अधिकारियों के आदेश कानून में मान्य नहीं हैं। अपीलें स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय व राजस्व अधिकारियों के आदेशों को अपास्त किया जाता है।

11. हालांकि यह आदेश राज्य सरकार के मामले के रिकॉर्ड को मंगाने और जांचने और संतुष्ट होने पर कि अधिनियम की धारा 45बी के अनुसार उपलब्ध मेटेरियल उचित आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त हैं, को प्रभावित नहीं करेगी।

बी.बी.बी. अपील स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **कनिष्का यादव (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।